voluntary agencies technical support, publicity and extension.

Losses suffered by regional rural Banks

*92. SHRI M. S. GURUPADASWAMY:
DR. BAPU KALDATE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Regional Rural Bank set up in 1984 with the objective of boosting priority sector have lost their financial viability;

(b) if so, what are the progressive losses suffered by the Regional Rural Banks since their inception;

(c) what are the main causes identified for the losses; and

(d) what steps are contemplated by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DALBIR SINGH): (a) to (d) National Bank for Agriculture & Rural Development (NABARD) have reported that during the year 1990-91 only 44 out of 196 Regional Rural Banks (RRBs) could earn profits amounting to Rs. 21.47 crores as against a loss of Rs. 91.87 crores incurred by 152 RRBs. The accumulated losses at the end of March, 1991 were Rs 363.91 crores. The 23 RRBs set up during the calendar year, 1984, incurred losses during the financial year 1990-91 amounting to Rs. 7.32 crores and their accumulated losses as at the end of March, 1991 aggregated to Rs. 22.81 crores. The reasons for weak financial health of the RRBs are attributable to severad factors like restriction on the choice of clientele, limited area of operation, low interest margins, mounting establishment costs, particularly after Implementation of the award of the National Industrial Tribunal etc. Several measures have been taken to remove the financial weaknesses of RRBs such as, enhancement of share capital, reduction in the interest rate on relinance from the sponsor banks, increase in lending rates etc. The performance of RRBs is continually monitored by National Bank for Agriculture & Rural Development and the Government of India remedial measures taken to improve their performance and eliminate their financial weaknesses.

बैंकों का जमा-अनुपात

*93. **श्री ईश दत्त यादव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों की तुलना में विकसित राज्यों में बैंकों का जमा अनुपात अधिक है ;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान राज्यवार बैंक जमा-अनुपात कितना-कितना था ; और

(ग) पिछड़े हुए राज्यों में बैंक जमा-अनुपात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सभवत: माननीय सदस्य का आशय विभिन्न राज्यों के ऋण जमा अनुपात से है । किसी एक राज्य अथवा क्षेत्र में स्थानीय रूप से प्राप्त जमा राशियों के जुटाने के सम्बध में ऋण का स्तर उस राज्य/क्षेत्र की ऋण के खपाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो अनुकूल आधारभूत सुविधाओं के विकास जैसे सिचाई, बिजली, रेल, सड़क, परिवहन आदि तथा अपेक्षित निवेश की उपलब्धता एवं कृषि संबंधी औद्योगिक उत्पादन आदि की विपणन सुविधाओं के तथ्यों द्वारा निश्चित तथा प्रभावित करते हैं । किसी राज्य/क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास का सूचक केवल ऋण जमा अनुपात नहीं होगा । तथापि, आर्थिक विकास में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे एक अखिल भारतीय आधार पर अपने ग्रामीण तथा

अर्ध शहरी शाखाओं के बारे में अलग से ऋण जमा अनुपात का 60 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करें । हालांकि, यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपात अलग से शाखा वार, जिलावार अथवा क्षेत्रवार प्राप्त किया जाये भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि विभिन्न राज्यों के बीच ऋण नियोजन में व्यापक क्षेत्रीय असमानताओं से बचा जा तथा कमी वाले क्षेत्रों में सभी उत्पादक तथा पता लगाए गए अर्थक्षम प्रस्तावों के लिये ऋण के प्रवाह को तेज करने के लिये प्रभावी कार्रवाई की जाए । राज्यों में बैंकिंग विकास की प्रगति की समीक्षा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में आवधिक आधार पर की जाती है । मार्च 1990 तथा मार्च 1991 के अंत की स्थिति के अनुसार वाणिजज्यिक बैंकों का राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्र वार ऋण जमा अनुपात विवरण दिया गया है ।

विवरण

मार्च 1990 और मार्च 1991 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्यवार ऋण जमा अनुपात को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च 1990 ऋण : जमा अनुपात	मार्च 1991 ऋण : जमा अनुपात
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र	**54.8**	**63.6**
हरियाणा	61.2	60.3
हिमाचल प्रदेश	38.6	37.4
जम्मू व काश्मीर	31.8	48.7
पंजाब	45.5	44.8
राजस्थान	62.2	56.5
चण्डीगढ़	65.5	82.2
दिल्ली	58.6	78.6
पूर्वोत्तर क्षेत्र	**51.7**	**45.6**
अरुणाचल प्रदेश	20.1	16.4
असम	55.5	51.2
मणिपुर	69.9	65.4
मेघालय	24.6	19.3
मिजोरम	34.2	22.1
नागालैंड	42.6	38.5
त्रिपुरा	72.2	58.4
पूर्वी क्षेत्र	**52.6**	**51.8**
बिहार	40.0	39.6
उड़ीसा	81.3	76.5

1	2	3
सिक्किम	28.3	18.3
पश्चिमी बंगाल	54.9	54.5
अंडमान और निकोबार	35.1	34.3
मध्य क्षेत्र	52.8	51.6
मध्य प्रदेश	68.6	67.1
उत्तर प्रदेश	47.0	45.8
पश्चिमी क्षेत्र	74.0	71.4
गोवा	31.9	33.2
गुजरात	61.3	59.7
महाराष्ट्र	79.7	76.3
दादरा और नागरहवेली	55.5	51.7
दमन और दीव	22.4	23.4
दक्षिण क्षेत्र	87.4	84.5
आन्ध्र प्रदेश	87.1	82.6
कर्नाटक	91.0	85.7
केरल	64.0	59.1
तमिलनाडु	99.4	100.1
लक्षद्वीप	16.2	16.9
पाण्डीचेरी	57.4	55.1
अखिल भारत	65.8	66.2

Formation a cadre flight engineers by the Indian Airlines

*94. MISS SAROJ KHAPARDE:
SHRI P. UPENDRA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether the Indian Airlines propose to form a large cadre o fflight engineers;

(b) whether a section of the employees are opposing the formation of such a cadre;

(c) whether these differences are affecting the operational efficiency of A-300 airbus; and

(d) if so, what remedial steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI MADHAV RAO SCINDIA): (a) There is no such proposal. A cadre of flight engineers is already existing in Indian Airlines.

(b) No, Sir.

(c) and (d) Do not arise.

Incorporation of Air India and Indian Airlines under the Companies Act

*95. SHRI N. E. BALARAM:
SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer to answer starred Question 56 given in the Rajya Sabha on the 25th November, 1991 and state:

(a) whether Government propose to incorporate the Indian Airlines and Air India as limited companies under the Companies Act; and

(b) if so, what are the details thereof?